9

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 239/2021

राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, सूरजगढ़

– वादी

बनाम

1. रमेश कुमार पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी भावठड़ी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय ::

दिनांक –07.02.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र, को खुर्द बुर्द नही करें।

(ख) अन्य सिद्वि जो मुफिद वादी हो एवं धारा 289 आ0टी0एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये नोटिस बोर्ड तहसील कार्यालय सूरजगढ़, पंचायत समिति कार्यालय सूरजगढ़ पर चस्पानगी से की गयी। प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज पैरोकार ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें बताया की उनवानी प्रकरण संख्या 239/2021 एवं 273/2021 राज0 सरकार बनाम रमेश कुमार दोनो प्रकरणों में प्रतिवादी तथा भूमि एक ही होने के कारण दोनो पत्रावलियों को Consolidate करने के लिए निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । उनवानी प्रकरण संख्या 239/2021 एवं 273/2021 राज0 सरकार बनाम रमेश कुमार को Consolidate किया गया। प्रतिवादी की और से श्री जोगेन्द्र सिंह एडवोकेट ने वकालतनाम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा O-9-R-7 CPC जिसकी नकल राज पैरोकार को दिलायी गई । राज पैरोकार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा O-9-R-7 CPC पर अनापत्ति जाहिर की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादा ने जवाब पेश किया जिसमें बताया की उक्त भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ करवाने के पश्चात ही गैर कृषि उपँयोग उपभोग किया है तथा उक्त भूमि का नामान्तरण भी 90ए के उक्त नगर पालिका के नाम नामान्तरकरण हो चुका है एवं वाद दायरी से पूर्व ही भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी है तथा जमाबंदी सं0 2074–77 पेश की जिसमें खसरा नम्बर 859/245 नगरपालिका चिड़ावा के नाम दर्ज रिकार्ड है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा, फर्द मौका।

10

हस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण को खारिज किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश::—

न्यायालय वाद वादीगण खारीज किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 859/245 रकबा 0.33 हैक्टर स्थित ग्राम सेहीकलां तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादी का जवाब, जमाबंदी सं0 20/4–77 पेश की जिसमें खसरा नम्बर 859/245 नगरपालिका चिड़ावा के नाम दर्ज रिकार्ड है इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का नामान्तरण भी 90ए नगर पालिका चिड़ावा के नाम नामान्तरकरण वाद दायरी से पूर्व से ही भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी थी । तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा दिनांक 02.09.2021 को वाद दायर करवाया गया एवं दिनांक 02.09.2021 को ही उक्त भूमि का नामान्तरण भी 90ए नगर पालिका चिड़ावा के नाम कर दिया गया जो घोर लापरवाही का द्योतक है अतः तहसीलदार सूरजगढ़ को सख्त हिदायत दी जाती है की भविष्य में इस प्रकार की पुनरावर्ती ना हो । अतः भूमि खेत खसरा 859/245 रकबा 0.33 हैक्टर स्थित ग्राम सेहीकलां वाद वादीगण को खारीज किया जाता है।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलैकटर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 07.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलैकटर
सूरजगढ़

11

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

पीठासीन अधिकारी :–
राजस्व वाद सं.– 239 / 2021
निर्णय दिनांक :– **07-02-2022**

राजस्थान सरकार <u>बनाम</u> रमेश कुमार आदि

<u>दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वादी की ओर से सरकारी पैरोकार व प्रतिवादी की ओर से श्री जोगेन्द्र सिंह एडवोकेट की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **07-02-2022** को दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

–:: आदेश::–

"न्यायालय वाद वादीगण खारीज किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 859 / 245 रकबा 0.33 हैक्टर स्थित ग्राम सेहीकलां तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, मौका फर्द, प्रतिवादी का जवाब, जमाबंदी सं0 2074–77 पेश की जिसमें खसरा नम्बर 859 / 245 नगरपालिका चिड़ावा के नाम दर्ज रिकार्ड है इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का नामान्तरण भी 90ए नगर पालिका चिड़ावा के नाम नामान्तरकरण वाद दायरी से पूर्व से ही भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी थी । तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा दिनांक 02.09.2021 को वाद दायर करवाया गया एवं दिनांक 02.09.2021 को ही उक्त भूमि का नामान्तरण भी 90ए नगर पालिका चिड़ावा के नाम कर दिया गया जो घोर लापरवाही का द्योतक है अतः तहसीलदार सूरजगढ़ को सख्त हिदायत दी जाती है की भविष्य में इस प्रकार की पुनरावर्ती ना हो । अतः भूमि खेत खसरा 859 / 245 रकबा 0.33 हैक्टर स्थित ग्राम सेहीकलां वाद वादीगण को खारीज किया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **07.02.2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर सूरजगढ़